

24/05/24

पञ्चवली पैरा हुई वकील आर्ची उप। विचारगण से
अवान का अवलट देने के बावजूद भी अवान
पैरा नहीं किया। अतः अवान बंद किया जाग है।
वकील आर्ची ने बख्त सुनने का निवेदन किया। वकील
आर्ची की बख्त सुनी गई। बख्त पर मनन किया
पञ्चवली का अध्ययन अवलोकन किया। अतः अतीत
होग है कि आर्ची का आर्चना कम स्वीकार करने
श्रेष्ठ है। अतः नेरवमन्दी निर्गम अल्प से
लिखा जाऊद शामिल पञ्चवली किया गया। पञ्चवली
असल सुमार सेकड दाखिल दफ्तर है।

सेवा में



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन सं 103/2024 अन्तर्गत धारा 111,128 एल.आर.एक्ट

सुरा वगैरा बनाम उगीयत वगैरा

तासीन अधिकारी - श्री विरेन्द्रसिंह भाटी आर.ए.एस
प्रार्थी वकील - श्री महिपालदान चारण

निर्णय


दिनांक - 24/05/2024

प्रस्तुत प्रकरण में संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि तहसील सेड़वा पटवार क्षेत्र फागलिया भू.अ.नि. क्षेत्र फागलिया के मौजा पांचरला के खेत खसरा संख्या 265/11 रकबा 1.6187 हैक्टर किस्म बारानी सोयम स्थित है। प्रार्थी के खेत के पास विप्रार्थीगण उक्त खातेदारी भूमि के पड़ोसी है। जिनके खेत प्रार्थी के खेत के पड़ोस में स्थित होने के कारण वरसात के समय वक्त काश्त अक्सर विप्रार्थीगण सेढो को लेकर विवाद करते रहते हैं। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के मध्य सीमा को लेकर विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगड्डी पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं। प्रार्थी ने पेमाईश एवं नेखमबन्दी करने का निवेदन किया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुए। लेकिन कोई उपस्थित नहीं हुआ, अतः उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। जिससे स्पष्ट होता है कि प्रार्थी के वक्त काश्त प्रार्थी व विप्रार्थीगण के मध्य सीमाओ को लेकर विवाद बना रहता है, इस कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं। प्रार्थी विवादित भूमि के खातेदार काश्तकार राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया की जाकर वादग्रस्त भूमि तहसील सेड़वा पटवार क्षेत्र फागलिया भू.अ.नि. क्षेत्र फागलिया के मौजा पांचरला के खेत खसरा संख्या 265/11 रकबा 1.6187 हैक्टर किस्म बारानी सोयम की नेखमबन्दी करने का आदेश दिया जाता है। नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सेड़वा को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर को निर्देश दिये जाते हैं कि वो दोनों पक्षों के रूबरू किसी मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पेमाईश करे व भूमापक कर्ता को यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि किसी सक्षम न्यायालय से स्थगन आदेश न हो तो वो दोनों पक्षों के रूबरू विवादित भूमि की मौके की स्थिति व कब्जे काश्त में परिवर्तन किये बिना मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पेमाईश करे व नेखमबन्दी कर पालना रिपोर्ट पेश करे वक्त पेमाईश हल्का पटवारी को साथ रखे। नेखमबन्दी के दौरान किसी बिन्दु को लेकर विवाद की स्थिति हो तो नेखम स्थापित नहीं किये जावे और उसकी मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश करे। तहरीर जारी हो।

तहसीलदार सेड़वा को आदेश दिया जाता है कि वे प्रार्थी के खसरे की नेखमबन्दी विप्रार्थीगण की उपस्थिति में करावें एवं नेखमबन्दी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हो।

पत्रावली पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर पेश हो पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफतर हो।
निर्णय आज दिनांक 24/05/2024 को न्यायालय के खुले परिसर में सुनाया गया।


(विरेन्द्रसिंह भाटी)
उपखण्ड अधिकारी
सेड़वा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा जिला बाड़मेर

<p>वी 1. सुरा पुत्र जीवा 2. तगु पत्नि सुरा जाति कोली, निवासी फागलिया, तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर।</p>	<p>बनाम</p>	<p>विप्रार्थीगण</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. उमीयत पत्नि राफीमोहमद 2. जमालखां पुत्र नवाब 3. दोशमोहमद पुत्र राफीमोहमद 4. बचुखां पुत्र साफीमोहमद 5. गोमदरहीम पुत्र राफीमोहमद 6. मोहमदअली पुत्र नवाब 7. रहमतला पुत्र नवाब 8. राजबाई पत्नि नवाब 9. सदामहुरोन पुत्र नवाब जाति मुरालमान, निवासी फागलिया, तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर। 10. अनाराम पुत्र सोना 11. रामू पत्नि रबाल 12. ईश्वर पुत्र सोना 13. कृष्ण पुत्र सोना 14. खेताराम पुत्र सोना 15. चतराराम पुत्र सोना 16. चमना पुत्र रबला 17. दलाराम पुत्र सोना 18. मंगलाराम पुत्र सोना 19. रूपा पुत्र रबला 20. आसी पत्नि शंकरा 21. शंकरा पुत्र जीवा के कायम मुकाम <ol style="list-style-type: none"> 1. रामाराम पुत्र शंकरा 2. मावाराम पुत्र शंकरा 3. गेमराराम पुत्र शंकरा 4. भंवराराम पुत्र शंकरा 22. जगसी पुत्र जीवा 23. तारी पत्नि जगसी जाति कोली, निवासी फागलिया, तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर। 24. दरिया पत्नि रामचन्द्र 25. रामचन्द्र पुत्र दुदा जाति मोची, निवासी फागलिया, तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर 26. राज्य सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार सेड़वा।
---	-------------	---

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज.भू. राजस्व अधिनियम वास्ते नेखमबंदी बाबत।

राजस्व आवेदन संख्या 106/2024

दिनांक : 24/05/2024

आदेश

तहसीलदार सेड़वा को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील सेड़वा पटवार क्षेत्र फागलिया भू.अ.नि. क्षेत्र फागलिया के मौजा पांचरला के खेत खसरा संख्या 265/11 रकबा 1.6187 हैक्टर किस्म बरानी सोयम के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार सेड़वा को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की पेमाईश आप अपने स्तर पर टीम गठित कर दोनों पक्षों को विधि को विधि सम्मत नोटिस के जरिये सूचित कर यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तथा नेखमबंदी की पालना 15 दिवस में अवश्य पेश करें। नेखमबंदी के दौरान किसी बिन्दु पर किसी प्रकार निर्माण होने की स्थिति में उस बिन्दु पर नेखम स्थापित नहीं किया जावे और उसकी मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश करे। तहसीलदार दोनों पक्षों को नोटिस जारी करने के उपरान्त ही नेखमबंदी की कार्यवाही करेंगे।

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हों। आवश्यकता होने पर संबंधित पुलिस थाना से इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है।



(विरेन्द्रसिंह भाटी)

उपखण्ड अधिकारी


P/C सेड़वा

दिनांक 06/06/2024

क्रमांक/भू.अ./2024/2073-76

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ-

1. तहसीलदार सेड़वा।
2. प्रार्थी सुरा पुत्र जीवा वगैरा ।
3. विप्रार्थीगण उमीयत पत्नि सफीमोहमद वगैरा।
4. थानाधिकारी पुलिस थाना सेड़वा/चौहटन/बाखासर/बीजराड़/धोरीमन्ना/धनाउ।



उपखण्ड अधिकारी

P/C सेड़वा